Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to ensure the share of farmers in the profits on final food products.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी)ः कृषि एक यज्ञ है, और किसान इस यज्ञ का प्रमुख कर्ताधर्ता। किन्तु यह कृषि यज्ञ और किसान दोनों ही वर्षों-वर्ष से संकट और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि विगत कई दशकों से कृषि और किसान को मजबूत करने के लिए कमोबेश पहल चलती ही रही है और हमारी प्रदेश और देश की दोनों सरकारों ने कृषि और किसान के उत्थान के लिए प्रभावी, सार्थक और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। कृषि और किसान की स्थिति उन्नत भी हुई है, पर मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि हम कृषि को अन्य व्यापारों के समानान्तर खड़े करने में सफल नहीं रहे हैं, तभी तो हम जब किसी युवा से एक छोटी दुकान खोलने या कृषि कार्य करने का एक विकल्प रखते हैं तो वह झट से छोटी दुकान खोलने के पाले में ख़ड़ा हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हमारी नरेन्द्र भाई मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार और पूरा सदन समेकित रूप से कृषि और किसान को लेकर चिन्तित है। विगत दिनों कृषि और किसान के उत्थान को लेकर मेरे मन में एक विचार आया, उसे मैं सरकार के समक्ष रखकर यह अपेक्षा करना चाहती हूँ कि पूरा सदन इस विषय पर विचार करे और कृषि और किसान के उन्नति हेतु यदि इस विषय का क्रियान्वयन हो तो मैं आप सब की चिरऋणी रहूँगी।

देखने में यह आता है कि कच्चे माल (रॉ-मटेरियल) का उत्पादक किसान अपने कच्चे माल का जो मूल्य पाता है उससे कई गुना अधिक मूल्य और लाभांश उस कच्चे माल से बनने वाले कई प्रोडक्ट (द्वितीयक उत्पादन) का निर्माता, होल सेलर और विक्रेता पाता है। जिसने कच्चा माल दिया उसका कपड़ा और चेहरा आज तक चमक नहीं पाया और जिन लोगों ने उनके पसीने से पैदा हुए कच्चे माल से बाई प्रोडक्ट (द्वितीयक उत्पादन) का निर्माण किया वे धनाधिपति होते चले गये। उदाहरण स्वरूप पचहत्तर ग्राम आलू से बना चिप्स बाजार में पच्चीस रूपये में बिकता है और चिप्स के प्रमुख उत्पाद (आलू) के उत्पादक को पचहत्तर ग्राम आलू का मूल्य अधिकतम पचास से पचहत्तर पैसे ही प्राप्त होता है। ऐसे हजारों-हजार उत्पाद (प्रोडक्ट) बाजार में उपलब्ध है, जैसे टमाटर, कपास, फली आदि जिनके कच्चे माल (रॉ-मटेरियल) का उत्पादक गरीबी की मार झेलता है और उससे बनने वाले द्वितीयक उत्पाद (बाई-प्रोडक्ट) के निर्माता उत्तरोत्तर धर्नाजन करते हैं प्रगति करते हैं।

मेरा यह कहना है कि कच्चे माल के उत्पादक किसान को कच्चे माल से मिलने वाले मूल्य के अतिरिक्त उस कच्चे माल से बनने वाले द्वितीयक उत्पाद (बाई-प्रोडक्ट) के लाभांश पर भी उसे बोनस प्राप्त हो, और उसकी हिस्सेदारी तय हो तो मैं दावे से इस बात को कह सकती हूँ कि यह क्रान्तिकारी कदम कृषि और किसान के चेहरे पर चमक लाने में समर्थ होगा।

पुनः विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ कि यदि यह विचार क्षेत्र के किसान और कृषि को बल देने में समर्थ है तो सरकार चर्चा कर इसे अधिनियमित करे ।